

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
26 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

तारीख दायरा
09.05.2022

तारीख निर्णय
01.09.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री रमन कुमार जैन पुत्र श्री प्यारे लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल जनरल स्टोर
दरबार स्कूल के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक निवासी दरबार स्कूल के पास सुभाष
बाजार टोंक जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपरिस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी श्री रमन कुमार जैन स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 01.09.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 11.02.2022 को समय 01:51 पीएम पर मैसर्स अग्रवाल जनरल स्टोर दरबार स्कूल
के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री रमन कुमार जैन पुत्र श्री
प्यारे लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रमन
कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र
मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान
में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ सूजी टोस्ट रस्क जीनत ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Jeenat Brand) के
200—200 ग्राम के 10 नग रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने
का अन्देशा हुआ तो श्री रमन कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर
एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रमन कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर
करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते
सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सूजी टोस्ट रस्क जीनत ब्राण्ड (Suji Toast
Rusk Jeenat Brand) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 200—200
ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



2044

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सूजी टोस्ट रस्क जीनत ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Jeenat Brand) के 200-200 ग्राम वाले चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3081, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3081 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री रमन कुमार जैन पुत्र श्री प्यारे लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/736 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./840/एक्ट/2022/888 दिनांक 11.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सूजी टोस्ट रस्क जीनत ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Jeenat Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री रमन कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर बैच नं. व पैकिंग दिनांक सही तरीके से अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सूजी टोस्ट रस्क जीनत ब्राण्ड विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सूजी टोस्ट रस्क जीनत ब्राण्ड (Suji Toast Rusk Jeenat Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 8,000/- (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
न्याय निदेशक एवं अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0